सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-5809/CG/331/2025-RO-RPR/RU-I **दिनांक: 28.04.2026**

सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर, रायपुर-492101, छतीसगढ़,
ई-मेल: eduportal.cg@nic.in

प्रधान सचिव,
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर,
रायपुर, छत्तीसगढ़ 492015
ई-मेल: ps-tribal@cg.gov.in

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर,
कार्यालय जिला कलेक्टर,
कांकेर, छत्तीसगढ़-494334
ई-मेल :kanker.cg@nic.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
कांकेर, छत्तीसगढ़-494334
ई-मेल: spkanker@gmail.com

विषय: **पत्रिका समाचार में प्रकाशित समाचार "जिले में मिशनरी के 17 छात्रावासों का अवैध ढंग से हो रहा संचालन" के संबंध में ।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 18.03.2026** को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नः यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

अनुसंधान एकक-I/Research Unit - I

फाइल संख्या/File No. : NCST/DEV-5809/CG/331/2025-RO-RPR/RU-I

बैठक की कार्यवाही (Minutes of the Sitting)

पत्रिका समाचार में दिनांक – 20/08/2025 को प्रकाशित समाचार "कांकेर जिले में मिशनरी के 17 छात्रावासों का अवैध ढंग से हो रहा संचालन" पर दिनांक 18.03.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आहूत सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 18.03.2026

सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

पत्रिका समाचार में प्रकाशित समाचार के अनुसार कांकेर जिला के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के जुनावर सहित मिशनरी के 17 छात्रावासों का पंजीयन आदिम कल्याण और शिक्षा विभाग के दस्तावेज में नहीं है। इसी तरह से मिशनरी का एक बालिका छात्रावास शहर में संचालित हो रहा है। जबकि शासन से बालक और बालिका छात्रावासों की निगरानी के लिए आदेश जारी होने के बाद भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अभी तक जांच नहीं किए हैं। भानुप्रतापपुर और कोयलीबेड़ा ब्लॉक के अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में गैर कानूनी ढंग से वर्षों से बालक- बालिका छात्रावासों का संचालन होना प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जिला प्रशासन का भारी भरकम खुफिया तंत्र और विभागीय अमला के बाद भी बिना पंजीयन छात्रावासों का संचालन खुलेआम किया जा रहा है। आखिर इन छात्रावासों में बड़ी घटना होने पर कौन जिम्मेदार होगा। शायद इसका जवाब न तो विभाग के जिम्मेदारों के पास है, न ही प्रशासन के पास है। जबकि मिशनरी स्कूल संचालक द्वारा बताया जा रहा कि मार्च 2016 में ही इन छात्रावासों के बारे में लिखित जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को मिल चुकी है। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम मौके पर छात्रावासों का सत्यापन भी कर चुकी है। प्रकाशित समाचार पर आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से नोटिस दिनांक 8/9/2025 सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर एवं पुलिस अधीक्षक, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर को प्रेषित किया गया।

आयोग के नोटिस के क्रम में कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला – उत्तर बस्तर कंकेर (छ.ग.) से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक – 16/01/2026 के अनुसार प्रकरण की जांच संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से कराई गई है, जिसमे उल्लेख किया गया है कि कोकरीपारा-नारायणपुर (भानुप्रतापपुर) में स्थित बालक-बालिका छात्रावास वर्ष 2007 से संचालित है तथा संस्था का मुख्यालय निर्मल वाईस धरमपुरा जगदलपुर, जिला बस्तर में है । संस्था का पंजीयन क्रमांक JDLPR/2022/3724 एवं रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.08.1988 है । संस्था के पंजीयन अनुसार स्कूल को हॉस्टल चलाने की अनुमति प्राप्त है । प्रभारी प्राचार्य संत जोसेफ हायर सेकेण्डरी स्कूल नारायणपुर (भानुप्रतापपुर) ने चावरा बाल भवन भीरागांव में संचालित छात्रावास को

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

वर्ष 2018-19 से बंद होने के संबंध में अवगत कराया गया, उक्त छात्रावास वर्तमान में संचालित नहीं हो रहा है ।

जिले में मिशनरी के 17 छात्रावासों का अवैध ढंग से संचालित होने के संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में नही आने का लेख किया गया है । प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक, जिला – उत्तर बस्तर कंकेर (छ.ग.) से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण की जांच संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से कराई गई है, जिसमे उल्लेख किया गया है कि कोकरीपारा-नारायणपुर (भानुप्रतापपुर) में स्थित बालक-बालिका छात्रावास वर्ष 2007 से संचालित है तथा संस्था का मुख्यालय निर्मल वाईस धरमपुरा जगदलपुर, जिला बस्तर में है। संस्था का पंजीयन क्रमांक JDLPR/2022/3724 एवं रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.08.1988 है । संस्था के पंजीयन अनुसार स्कूल को हॉस्टल चलाने की अनुमति प्राप्त है । प्रभारी प्राचार्य संत जोसेफ हायर सेकेण्डरी स्कूल नारायणपुर (भानुप्रतापपुर) ने चावरा बाल भवन भीरागांव में संचालित छात्रावास को वर्ष 2018-19 से बंद होने के संबंध में अवगत कराया गया, उक्त छात्रावास वर्तमान में संचालित नहीं हो रहा है । जिले में मिशनरी के 17 छात्रावासों का अवैध ढंग से संचालित होने के संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में नही आने का लेख किया गया है।

कार्यालय जिला कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के प्रतिवेदन दिनांक 22/12/2026 के अनुसार जिले के विकासखण्ड भानुप्रतापपुर में 02, चारामा में 01, कांकेर में 02 एवं कोयलीबेड़ा में 10 कुल 15 मिशनरी छात्रावास का अशासकीय विद्यालयों द्वारा संचालित किये जा रहे है। जिले के भानुप्रतापपुर में संचालित 02 मिशनरी छात्रावासों को छोड़कर सभी के लिये प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया कि शासकीय पंजीयन/दस्तावेज नहीं है। जिसमें रहवासी छात्रों से चर्चानुसार अवैध मिशनरियों की गतिविधियां संचालित नहीं की जाती है, पालको को भी कोई आपत्ति नहीं है तथा जिले में संचालित 15 मिशनरी छात्रावासों का अवैध ढंग से संचालन होने के सम्बन्ध में कोई तथ्य प्रकाश में आना प्रतीत नहीं होता है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला – उत्तर बस्तर कंकेर (छ.ग.) से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक – 16/01/2026 तथा कार्यालय जिला कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के प्रतिवेदन दिनांक 22/12/2026 के अनुसार जिले में कुल 15 मिशनरी छात्रावास का अशासकीय विद्यालयों द्वारा 02 मिशनरी छात्रावासों को छोड़कर सभी के शासकीय पंजीयन/दस्तावेज नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 18/3/2026 को सिटिंग आहूत कि गई। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक जिला उत्तर बस्तर, कांकेर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र होने के कारण अनुपस्थित रहते हुए नवीन तिथि हेतु माननीय आयोग से अनुरोध किया गया।

सुनवाई तिथि को प्रमुख सचिव, आदिम जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने विधानसभा सत्र के कारण व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगते हुए श्री डी. पी. नागेश, संयुक्त संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर को प्राधिकृत पत्र दिनांक 17/3/2026 के माध्यम से अनुरोध किया गया, जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार करते हुए संयुक्त संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर को राज्य सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान कि गई।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

संयुक्त संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर ने माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि से समाचार पत्र में प्रकाशित संबंधित छात्रावासों का संचालन, पंजीयन एवं जिन स्थानों पर छात्रावास संचालित की जा रही है, उसकी पंजीयन, संचालन एवं अन्य गतिविधियों की जिले से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार जिले में संचालित 15 स्थानों का मिशनरी छात्रावासों के साथ स्कूल भी संचालित है, जिसमें रहवासी छात्रों से चर्चा अनुसार अवैध मिशनरियों की गतिविधियां संचालित नहीं की जाती है, पालकों को भी कोई आपत्ति नहीं है एवं जिले में संचालित 15 मिशनरी छात्रावासों का अवैध ढंग से संचालन होने के संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में आना प्रतीत नहीं होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा छात्रावासों के संचालन हेतु पंजीयन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अग्निशमन, भवन इत्यादि सम्बन्धित दस्तावेजों की जानकारी नहीं होने एवं अलग से कोई जांच विभाग द्वारा नहीं करवा कर केवल जिला कलेक्टर की सूचना के आधार पर आयोग को जवाब प्रस्तुत किया जाना बताया गया।

आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसा माननीय आयोग द्वारा की गई है :

आयोग का दल जिला उत्तर बस्तर, कांकेर में संचालित सभी छात्रावास जिन्हें मिशनरी के द्वारा संचालित किये जा रहे है, स्थलीय जांच कर माननीय अध्यक्ष को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। पत्रावली का अन्तिम निर्णय जांच दल का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त लिया जायेगा।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/DEV-5809/CG/331/2025-RO-RPR/RU-I

दिनांक: 18.03.2026

विषय: पत्रिका समाचार में प्रकाशित समाचार "जिले में मिशनरी के 17 छात्रावासों का अवैध ढंग से हो रहा संचालन" के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 18.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,

क्र. स.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				

प्रधान सचिव,
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	D P Nagesh	Joint. Director	8120894558	[signature]
2.				
3.				
4.				

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				

पुलिस अधीक्षक,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				